



प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 21 मार्च, 2026

विषय:- लखनऊ नगर की यातायात व्यवस्था सुधार हेतु गोमती नदी के दायें बैंक पर आर्मी लैंड से शहीद पथ तक सड़क हेतु बन्धा निर्माण कार्य संबंधी परियोजना की वित्तीय वर्ष (2025-26) में द्वितीय किशत अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-338/वी0सी0/इ0इ/जी0सी0, दिनांक 19.02.2026 एवं सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-370/सचिव/अ0अ0जी0सी0/25, दिनांक 12.03.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ नगर की यातायात व्यवस्था सुधार हेतु गोमती नदी के दायें बैंक पर आर्मी लैंड से शहीद पथ तक सड़क हेतु बन्धा निर्माण कार्य संबंधी परियोजना की व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित लागत ₹0 4780.18 लाख के सापेक्ष द्वितीय किशत के रूप में धनराशि ₹0 1673.10 लाख (रूपये सोलह करोड़ तिहत्तर लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

- (1) लखनऊ विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य 18 माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाए, जिससे टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन इत्यादि की स्थिति उत्पन्न न हो।
- (2) गोमती नदी के दायें बैंक पर आर्मी लैंड से शहीद पथ पर सड़क हेतु बन्धा निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उक्त के दृष्टिगत उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाये, जिसमें मुख्य अभियंता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 एवं मुख्य अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण सम्मिलित हों। इसी तकनीकी समिति की देख-रेख में प्रस्तावित निर्माण कार्य कराया जाये।
- (3) लखनऊ विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा सिंचाई विभाग के सक्षम स्तर से वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (4) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
- (5) प्रायोजना में प्रस्तावित मार्ग आदि स्ट्रक्चर्स का निर्माण संबंधित IRC/लोक निर्माण विभाग के सुसंगत मानकों (Standards) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (6) प्रायोजना में प्रस्तावित मार्ग की लेपित चौड़ाई एवं फारमेशन चौड़ाई इत्यादि तथा पक्के स्ट्रक्चर्स यथा-पुल, पुलिया, ड्रेन एवं रोड सेफ्टी इत्यादि का निर्माण IRC/लोक निर्माण विभाग के सुसंगत मानकों (Standards) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (7) लखनऊ विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट

डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

- (8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं का निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/लखनऊ विकास प्राधिकरण का होगा।
- (9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (10) कार्यदायी संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की होगी तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (12) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी बैंक/डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाए तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (13) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना में सामाग्री का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
- (14) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (15) कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित/प्रस्तावित है।
- (16) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (17) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय वित्त समिति के कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2025 द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (18) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/गिट/मौरंग/ ई0एण्डएम0 इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये।
- (19) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (20) प्रश्नगत परियोजना हेतु सीड कैपिटल के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि ब्याज मुक्त होगी, जिसकी अदायगी आगामी 10 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा 30प्र0 राज्य सरकार को सुनिश्चित की जायेगी।
- (21) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समयावधि में सीड कैपिटल की अदायगी न करने की दशा में सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा डिफाल्ट अवधि के लिए 3.5 प्रतिशत की दर से दण्डात्मक ब्याज भी राज्य सरकार को देय होगा।
- (22) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जब तक सीड कैपिटल की समय से अदायगी सुनिश्चित नहीं की जाती है, तब तक सम्बन्धित प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।
- (23) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सीड कैपिटल से प्राप्त धनराशि को प्रश्नगत परियोजना पर ऐसी जगह निवेश करेंगे, जहां से आय अर्जित हो सके, ताकि प्राधिकरण द्वारा इसकी अदायगी समय से सुनिश्चित की जा सके।

- (24) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।
- (25) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (26) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,73,10,000 (रुपये सोलह करोड़ तिहत्तर लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-002 लेखा शीर्षक 4217608000800 लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी व अन्य शहरों में रोप-वे विकसित करने हेतु मानक मद 30 निवेश/ऋण मद में डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या: 60/2026/345(1)/आठ-1-26. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आईओएफओएससीओ कोड की सूचना ईमेल आईडीओ ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उओप्रओ शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उओप्रओ शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उओप्रओ शासन।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उओप्रओ, लखनऊ।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उओप्रओ शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर लखनऊ विकास प्राधिकरण के खाता संख्या में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव।